1/1(2)/2020-पी & पी डब्ल्यू (ई)/भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क- ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 7वें सीपीसी के पश्चात माता और पिता दोनों से संबंधित बच्चे को देय दो कुटुंब पेंशनों के सीमाओं का संशोधन

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के अनुसरण में, यदि पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होते हैं, तो उनके दिवंगत होने पर, उनके उत्तरजीवी बच्चा/बच्चे, दिवंगत माता-पिता से संबंधित दो कुटुंब पेंशन का/के पात्र है/हैं। वर्तमान नियम 54 के अनुसार, यदि माता-पिता में से किसी एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो मृतक से संबंधित कुटुंब पेंशन जीवित पति या पत्नी को देय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, जीवित बच्चे या बच्चों को मृतक माता-पिता से संबंधित दो कुटुंब पेंशन दी जाएगी, जो नीचे दी गई सीमाओं के अध्यधीन हैं:

(क)(i) यदि उत्तरजीवी बच्चा या बच्चे नियम 54 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दर पर दो कुटुंब पेंशन आहरण के लिए पात्र है/हैं, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की राशि पैतालीस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी;

(ii) यदि नियम 54 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दर पर दो कुटुंब पेंशनों में से किसी एक कुटुंब पेंशन की देयता समाप्त होती है, और नियम 54 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दर पर कुटुंब पेंशन के बदले में देय होता है, तो दोनों पेंशनों की राशि भी पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

(ख) यदि दोनों कुटुंब पेंशन नियम 54 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दरों पर देय हैं, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की राशि सत्ताईस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

2. वर्तमान नियम 54(11) में रु 45,000/- प्रति माह और रु 27,000/- प्रति माह की सीमा छठे सीपीसी में रु 90,000/- के उच्चतम वेतन के क्रमशः 50% और 30% की दर से निर्धारित किया गया था और दिनांक 8 जून, 2011 (जीएसआर 176, दिनांक 11 जून, 2011) के अधिसूचना संख्या 38/80/2008-पी&पीडब्ल्यू(ए) के तहत अधिसूचित किया गया था।

3. इस विभाग में 7वें **सीपीसी के पश्चात**, माता और पिता दोनों से संबंधित बच्चे/बच्चों को देय दो कुटुंब पेंशनों की सीमा के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

4. 7वें **सीपीसी के पश्चात**, सरकार में उच्चतम वेतन 2,50,000/- रु प्रति माह संशोधित किया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि, दिनांक 01.01.2016 से, नियम 54(11)(ए)(i) और (ii) में पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह की राशि एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति माह (रु 2,50,000 का 50% होने के कारण) तक संशोधित होगी और नियम 54(11)(बी) में सत्ताईस हजार रुपये प्रति माह की राशि पचहत्तर हजार रुपये प्रति माह (रु 2,50,000 का 30% होने के कारण) तक संशोधित होगी।।

5. इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का औपचारिक संशोधन अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
टेलीफोन-24644632

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उपराष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु